



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44612 वर्ष 2025

कुंदन गुप्ता

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : चन्द्र प्रकाश मिश्रा, जी.ए., मोहम्मद शोएब खान

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री मंगला प्रसाद राय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, द्वारा सहायता प्राप्त हैं, श्री मो. शोएब खान, विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से, तथा श्री संजीव सिंह, विद्वान अपर महाधिवक्ता, जो श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से, द्वारा सहायता प्राप्त हैं, को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा एस.टी. संख्या 1223/2025 में, जो मुकदमा अपराध संख्या 175 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 85, 3(5), 61(2) भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना रामकोला, जिला कुशीनगर से उद्भूत है, जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, घटना की तारीख से नौ वर्ष पूर्व आवेदक का विवाह मृतक के साथ हुआ था, जिसके बाद आवेदक एवं अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने दिनांक 6.5.2025 को मृतक की गर्दन काटकर उसकी हत्या कारित करने का कथित कृत्य किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी विलंब से दर्ज हुई है और उसमें अपराध का कोई समय उल्लिखित नहीं है। बाद में दो साक्षी इकट्ठे किए गए हैं, अर्थात् मृतक की 08 वर्षीया एवं 06 वर्षीया पुत्रियाँ, जिन्होंने कथन दिया है कि उन्होंने आवेदक को खून साफ करने के लिए फर्श पर झाड़ू लगाते देखा था। उक्त साक्ष्य यह नहीं दर्शाती कि आवेदक ने उक्त अपराध कारित किया है।
6. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है। मृतक को उसकी गर्दन पर केवल एक चोट आई थी, जो मांसपेशी की गहराई तक की है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 6.5.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से एवं विद्वान अपर महाधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि मृतक की दो पुत्रियों के कथन हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4, अर्थात् रेस जेस्टे के अंतर्गत आते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि मृतक की मृत्यु आवेदक के घर की चहारदीवारी के भीतर हुई थी और उसकी गर्दन कटी हुई पाई गई तथा श्वासनली भी कटी हुई थी। आवेदक मृतक का पति होने के कारण मुख्य अभियुक्त है, अतः वह जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मृतक की मृत्यु आवेदक के घर की चहारदीवारी के भीतर हुई थी, जो कि मृतक का पति भी है, तथा इसके साथ आवेदक एवं मृतक की दो नाबालिग पुत्रियों के कथन भी हैं, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं पाता।
9. जमानत आवेदन गुण-दोषहीन पाया जाता है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
10. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को, यदि कोई विधिक बाधा न हो, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220** तथा **हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702** के हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में शीघ्रता से निर्णीत किया जाए।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियाँ विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

Translated Version. Not for Legal Use.